

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश बनाम बहादुर वगैरे

मुकदमा नम्बर-47/2025

किरम मुकदमा -
तारीख हुकमदावा अधा 53, 188 आर टी एक्ट.
हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जजनम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुई

24.03.2025

वादी की ओर से वकील दीपक बाजिया एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 16.04.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर सीकर

16-4-25

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय उम्ब
पत्रावली उपस्थित। पीठसलीन अधिकारी
दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/सीटिंग में
हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 28-5-25 को पेश हो।
सुजय

28-5-25

पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय उम्ब
पत्रावली उपस्थित। पीठसलीन अधिकारी
दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/सीटिंग में
हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 6-8-25 को पेश हो।
सुजय

23.06.2025

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 06.08.2025 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र विद्वा का पेश कर निवेदन किया है वादी उक्त प्रकारण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर विद्वा करना चाहते है, वकील वादी के निवेदन पर उक्त वादपत्र को आगे न चलाकर इसी स्तर पर विद्वा करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)